न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00027

1. हेमराज आत्मज श्री कान्हा जाति बलाई निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
2. बृजमोहन आत्मज श्री कान्हा जाति बलाई निवासी नई बस्ती मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मुलकराज आत्मज स्व0 श्री लटूरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 श्री लटूरलाल जाति बलाई निवीस ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जमनालाल आत्मज श्री किशना जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. लटूर आत्मज श्री घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती दाखा बाई पत्नी स्व0 लटूर लाल
   2/2. हंसराज पुत्र स्व0 लटूर लाल ।
   2/3. धन प्रकाश पुत्र स्व0 लटूर लाल ।
   2/4. शोभाराम पुत्र स्व0 लटूरलाल जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नन्दू पुत्री घांसी पत्नी चन्द्रा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. पप्पू पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवासी ग्राम जामूड तहसील एवं जिला बून्दी
   3/2. मोहन लाल पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवीस ग्राम जामूड तहसील व जिला बून्दी ।
   3/3. सुगना बाई पुत्री चन्द्र पत्नी गागूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम तुलसी तहसील व जिला बून्दी ।
4. दुर्गालाल आत्मज कान्हा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. देवीशंकर पुत्र स्व0 दुर्गालाल
   4/2. कमलेशी बाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल ।
   4/3. ममता बाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल ।
   4/4. पुष्पा बाई पत्नी स्व0 दुर्गालाल जाति बलाई निवासीगण ग्राम केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. अनोख बाई पुत्री कान्हा पत्नी रामकल्याण जाति बलाई निवीस ग्राम ढोटी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. काली बाई पुत्री कान्हा पत्नी नन्दकिशोर जाति बलाई निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

7. मंजू बाई पुत्री कान्हा पत्नी लटूर जाति कलाई निवासी ग्राम कुरी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
8. हजारी लाल आत्मज स्व0 किशना पत्नी लालाजी जाति बलाई निवासी ग्राम दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. कजोडी पुत्री स्व0 किशना पत्नी लालाजी जाति बलाई निवासी ग्राम दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. कस्तूरी पुत्री स्व0 किशना पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम सुवाणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. केशर पुत्र स्व0 किशना पत्नी देवकरण जाति बलाई निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. भूली बाई पुत्री स्व0 किशना पत्नी लटूरलाल जाति बलाई निवासी मकान नम्बर–19 चम्बल कॉलोनी माला रोड, कोटा ।
13. दाखां पुत्री स्व0 किशना पत्नी बिरधीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम खुशालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
14. कांति पुत्री स्व0 किशना पत्नी मोडूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. संजय पुत्र रमेश चन्द जाति मेहर द्वारा रिद्धि–सिद्धि कोलोनाईजर 214 केशवपुरा रंगबाडी कोटा ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2021/00053

संजय पुत्र रमेश चन्द जाति मेहर द्वारा रिद्धि–सिद्धि कोलोनाईजर 214 केशवपुरा रंगबाडी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जमनालाल आत्मज श्री किशना जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. लटूर आत्मज श्री घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती दाखा बाई पत्नी स्व0 लटूर लाल
   2/2. हंसराज पुत्र स्व0 लटूर लाल ।
   2/3. धन प्रकाश पुत्र स्व0 लटूर लाल ।
   2/4. शोभाराम पुत्र स्व0 लटूरलाल जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नन्दू पुत्री घांसी पत्नी चन्द्रा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. पप्पू पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवासी ग्राम जामूड तहसील एवं जिला बून्दी

3/2. मोहन लाल पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवीस ग्राम जामूड तहसील व जिला बून्दी ।

3/3. सुगना बाई पुत्री चन्द्र पत्नी गागूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम तुलसी तहसील व जिला बून्दी ।

4. दुर्गालाल आत्मज कान्हा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. देवीशंकर पुत्र स्व0 दुर्गालाल
   4/2. कमलेशी बाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल ।
   4/3. ममता बाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल ।
   4/4. पुष्पा बाई पत्नी स्व0 दुर्गालाल जाति बलाई निवासीगण ग्राम केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. हेमराज आत्मज कान्हा जाति बलाई निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
6. बृजमोहन आत्मज कान्हा जाति बलाई निवासी नई बस्ती मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. अनोख बाई पुत्री कान्हा पत्नी रामकल्याण जाति बलाई निवीस ग्राम ढोटी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
8. भूरा बाई पुत्री कान्हा जाति बलाई धर्मपत्नी मथुरालाल निवासी खुसालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
9. काली बाई पुत्री कान्हा पत्नी नन्दकिशोर जाति बलाई निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
10. मंजू बाई पुत्री कान्हा पत्नी लटूर जाति कलाई निवासी ग्राम कुरी तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
11. हजारी लाल आत्मज स्व0 किशना पत्नी लालाजी जाति बलाई निवासी ग्राम दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. कजोडी पुत्री स्व0 किशना पत्नी लालाजी जाति बलाई निवासी ग्राम दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. कस्तूरी पुत्री स्व0 किशना पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम सुवाणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. केशर पुत्र स्व0 किशना पत्नी देवकरण जाति बलाई निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
15. भूली बाई पुत्री स्व0 किशना पत्नी लटूरलाल जाति बलाई निवासी मकान नम्बर–19 चम्बल कॉलोनी माला रोड, कोटा ।
16. दाखां पुत्री स्व0 किशना पत्नी बिरधीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम खुशालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
17. कांति पुत्री स्व0 किशना पत्नी मोडूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2021/00027 में ।
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से दोनों अपीलों में
3. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2021/00053 में ।
4. श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2/1 लगायत 2/4 एवं 3/1 लगायत 3/3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ होने एवं समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग– अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मूल पुरूष धूल्या जी की ग्राम बीलखेडी तथा ग्राम गोपालपुरा में कृषि स्थित है । ग्राम बीलखेडी तहसील लाडपुरा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 1.76 स्थित है जिसमें लटूर पुत्र घांसी, नन्दू पुत्री घांसी हिस्सा 1/3 तथा किशना, कान्हा पिसरान धूल्या हिस्सा 2/3 में बराबर दर्ज है । ग्राम बीलखेडी की कृषि भूमि में किशना जी व खाना जी (कान्हा जी) का नाम अंकित है जबकि किशना जी का स्वर्गवास दिनांक 30.06.2000 को हो चुका है । कान्हा का स्वर्गवास सन् 1994 को हो चुका है लेकिन उक्त दोनों के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया है । ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा में कुल 07 किता की 5.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि लटूर पुत्र घांसी, नन्दू पुत्री घांसी हिस्सा 1/3, जमना लाल पुत्र किशना हिस्सा 1/3, दुर्गालाल, हेमराज, बृजमोहन पिसरान कान्हा, अनोख बाई, भूराबाई, काली बाई, मंजूबाई पुत्रियॉ कान्हा, कान्ही बाई बेवा कान्हा हिस्सा 1/3 दर्ज है । किशना का निधन होने के बाद उनके वारिसों का बराबर हक रहा किन्तु वादी के भाई हजारीलाल एवं अन्य सभी बहिनों ने लिखित में उक्त ग्राम गोपालपुरा की भूमि के बारे में वादी के हक में अपना हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से रिलीड कर निष्पादित कर दिया । ग्राम गोपालपुरा की आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 11 से 17 का अधिकार नहीं रहा है । वर्तमान में स्व0 घांसी के वारिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 96 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.20 हैक्टर तथा ग्राम बीलखेडी की खसरा नम्बर 05 रकबा 1.76 हैक्टर पर काबिज हैं । स्व0 किशना के वारिस ग्राम गोपालपुरा की आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 1.42 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 411 रकबा 0.88 हैक्टर पर काबिज हैं । स्व0 कान्हा जी के वारिस ग्राम गोपालपुरा की खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 एवं खसरा नम्बर 448 रकबा 2.66 हैक्टर पर काबिज हैं । प्रतिवादी क्रम 11 लगायत 17 ने ग्राम गोपालपुरा की आराजी में से अपना हिस्सा वादी के पक्ष में जरिये रिलीज डीड छोड

दिया है तथा ग्राम बीलखेडी की भूमि में भी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम गोपालपुरा एव बीलखेडी की आराजी का विधिवत विभाजन करके वादी के पक्ष में 1/3 हिस्से की डिक्री पारित की जावे तथा तद्नुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश पारित किया जावे । ग्राम बीलखेडी की भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 1.76 हैक्टर में मृतक किशना व मृतक कान्हा का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 17 को खातेदार किया जावे तथा ग्राम गोपालपुरा व बीलखेडी की भूमियों को सम्मिलित किया जाकर नियमानुसार बंटवारा किया जावे तथा कब्जे के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग अंकिन किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने तथा पृथक से अपना हिस्सा दिलवाकर कब्जा दिलवाने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 04, 05, 1/4 एवं 1/6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में 2021/00027 एवं संजय मेहरा द्वारा अपील संख्या 2021/00053 प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 03.02.2021 निरस्त करने का कथन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने एक दावा विभाजन एवं हक घोषणा का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल 07 किता की रकबा 5.65 हैक्टर आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा में स्थित है जिसमें लटूर पुत्र घांसी, नन्दू पुत्र घांसी हिस्सा 1/3, जमनालाल पुत्र किशना हिस्सा 1/3, दुर्गालाल, हेमराज, बृजमोहन, पिसरान कान्हा, अनोखबाई, भूरा बाई, बाली बाई, मंजू बाई पुत्रियॉ कान्हा व कान्ही बाई बेवा कान्हा हिस्सा 1/3 दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम बीलखेडी की आराजी के बाबत् विभाजन की सहयाता चाही गयी । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को स्वीकार करते हुए दिनांक 16.06.2017 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री

पारित की और तहसीलदार लाडपुरा से विभाजन प्राप्त कर करने के निर्देश दिये । सर्वप्रथम तहसीलदार लाडपुरा ने अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 08.08.2018 को विभाजन प्रस्ताव दिये जिस पर अपीलान्ट ने आपत्ति की । जिस पर विभाजन के पुनः प्रस्ताव दिनांक 14.06.2019 को भेजे गये जिस पर रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई जिसके उपरान्त दिनांक 13.01.2021 को नायब तहसीलदार मण्डाना ने वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 एवं अपीलान्ट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किये जिनको नजर अन्दाज करते हुए अंतिम डिक्री पारति की गई जो त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट किसी के द्वारा भी आपत्ति पेश नहीं की गई है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 120 की 1.13 हैक्टर आराजी पर अपने दर्ज हिस्से के अनुसार काबिज चला आ रहा है । खसरा नम्बर 120 की रकबा 1.42 हैक्टर आराजी में से 0.29 हैक्टर आराजी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त की जा चुकी है जिसका मुआवजा समस्त सहखातेदारों ने समान रूप से प्राप्त किया है । खसरा नम्बर 120 की रकबा 1.13 हैक्टर आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त की जा चुकी है जिसका नोटिस समस्त सहखातेदारान को प्रेषित किया गया है । मृतक दुर्गालाल का पुत्र सोनू लाऔलाद फोत हो चुका है इसके बावजूद उसको हिस्सा दिया गया है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । निर्णय में नियम 20 का हवाला देते हुए खेत के टुकडे नहीं किये जाने के आधार पर खसरा नम्बर 120 की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट को दी गई है जबकि खसरा नम्बर 448 के टुकडे किये गये हैं जो आराजी कीमती है वो रेस्पोडेन्ट को दी गई है और कम कीमती आराजी है वो अपीलान्ट को दी गई है । अपीलान्ट ने इस कम में जब शिकायत की तो उसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है जिसके दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 01 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सन् 2006 में विभाजन का दावा पेश किया था । सन् 2017 में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई और विभाजन की अंतिम डिक्री अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश किया गया था उसकी मद संख्या 10 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि किशना के वारिस ग्राम गोपालपुरा की आराजी खरा नम्बर 106 रकबा 0.21 हैक्टर और खसरा नम्बर 121 की रकबा 1.42 हैक्टर और खसरा नम्बर 411 की रकबा 0.88 हैक्टर पर काबिज हैं । कान्हा के वारिस ग्राम गोपालपुरा की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 हैक्टर और खसरा नम्बर 448 की रकबा 2.66 हैक्टर पर काबिज हैं । प्रतिवादी अपीलान्ट ने जो जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है उसमें यह अंकित किया है कि मद संख्या 10 वादी को प्रमाणित करना है । यदि दावे की किसी मद का प्रतिवादी के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको एडमिटेड माना जावेगा और न्यायालय उसके अनुसार सहायता प्रदान करेगा । सीपीसी के आदेश 08 नियम 3, 4 व 5 में यही प्रावधान किया गया है । डीएनजे 2010 (एससी) पेज 260 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि दावे कि किसी मद को अस्वीकार नहीं किया जाता है तो उसको एडमिटेड माना जावेगा । जिन तथ्यों को स्वीकार किया जा चुका था उनको प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होती है । डीएनजे 1997 (राज0) पेज 260 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि केवल प्रत्याखान अथवा अस्पष्ट प्रत्याखान– कानून की दृष्टि में प्रत्याखान नहीं है तथा यह स्वीकृत तथ्य की श्रेणी में आता है । सीडीआर 2013

पेज 589 एवं (2003) 8 एससीसी पेज 673 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि evasive denial एडमिशन माना जावेगा और उसके विपरीत कोई भी साक्ष्य स्वीकार्य नहीं होगी । इन नजीरों के मध्यनजर रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे की मद संख्या 10 में जो कथन किया है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित किया जाना विधि सम्मत है । विभाजन की डिक्री में सहखातेदारों के कब्जे को ध्यान में रखा जाता है जो जहॉ काबिज होता है यथासंभव उसे वो ही आराजी दी जाती है । परीक्षण न्यायालय तहसील की रिपोर्ट से बाध्य नहीं है यदि तहसील से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है वो विधिक प्रावधानों के विपरीत है तो न्यायालय स्वविवेक से अंतिम डिक्री पारित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में अंकित तथ्यों के मध्यनजर जो अंतिम डिक्री पारित की है वो विधि सम्मत है उसमें कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2009 (एससी) पेज 1069, डीएनजे 1997 (राज0) पेज 441, डीएनजे 2010 (राज0) पेज 260, 2013 सीडीआर पेज 589, (2003) 8 एससीसी पेज 673 उद्धरत की ।

12. अपील संख्या 2021/00053 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उनको अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । दिनांक 12.02.2019 को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 196 की रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 की रकबा 0.21 हैक्टर सहखातेदारान से 1/3 हिस्सा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया है और अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुकी है वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2/1 लगायत 2/4 और 3/1 लगायत 3/3 ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । न्यायालय के द्वारा नियमों के विपरीत जाकर इस बंटवारा प्रस्ताव के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाबदावा प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया है उसमें काउन्टर क्लेम के रूप में यह अंकित किया गया है कि सभी खसरा नम्बरों में से 1/3 हिस्सा कायम किया जावे । मौके पर नायब तहसीलदार मण्डाना गये हैं जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर रेपोर्ट तैयार करनी चाहिए । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

14. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 44/2021 की प्रमाणित प्रति पेश की है और उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया है ।

15. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 44/2021 की प्रमाणित प्रति है जो इसी प्रकरण में विवादित आराजी के बाबत् है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार पेश किये गये दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 1606.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जिसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई है । दिनांक 01.02.2021 को पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील पेश की गई है । प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद में परीक्षण न्यायालय के द्वारा तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये गये । सर्वप्रथम बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.09.2018 को तहसीलदार के द्वारा तैयार किये जाकर परीक्षण न्यायालय में पेश किये गये जो परीक्षण न्यायालय में पेश होने के उपरान्त आपत्ति पेश होने पर पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश दिनांक 19.03.2019 को पारित किये गये । इसके उपरान्त पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2019 को प्रेषित किये गये इस पर आपत्ति वकील वादी के द्वारा दिनांक 07.08.2019 की आदेशिका के अनुसार की गई । दिनांक 17.02.2020 की आदेशिका के अनुसार तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया इसके उपरान्त दिनांक 19.01.2021 के पत्र के माध्यम से नायब तहसीलदार मण्डाना के द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिये गये यह विभाजन प्रस्ताव जो कि मौके पर दिनांक 13.01.2021 को बनाये गये हैं में वादी जमना लाल प्रतिवादी संख्या 04 हेमराज, शोभाराम प्रतिवादी संख्या 1/5 मुलकराज, प्रतिवादी संख्या 1/4 एवं देवीशंकर के हस्ताक्षर हैं । इस विभाजन प्रस्ताव के बाबत् उभयपक्षकारान में से किसी के द्वारा लिखित में आपत्ति पेश नहीं की गई है और परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि उनका खसरा नम्बर 106, 120 और 411 पर कब्जा है । इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है जो कि नायब तहसीलदार मण्डाना के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव से भिन्न है ।

17. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं थे तो उन्हें पुनः विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार प्राप्त करने चाहिए । नायब तहसीलदार, मण्डाना के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव दिये गये हैं उसमें पक्षकारों के हिस्से को पृथक से दर्शाते हुए अलग–अलग रंग में नक्शा तैयार नहीं किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार अनिवार्य है । साथ ही राजस्व मण्डल के द्वारा परिपत्र दिनांक 05.10.2020 को जारी किये गये हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम, 1955 के नियम 21 के अन्तर्गत केवल तहसीलदार के द्वारा ही तैयार किये जाने चाहिए। प्रायः यह देखने में आया है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के स्तर पर तैयार नहीं किये जाते हैं अपितु पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के द्वारा तैयार किये जाते हैं और प्रतिहस्ताक्षर तहसीलदार के द्वारा किये जाते हैं जो राजस्व विधि के विपरीत हैं । इसमें यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार करने चाहिए । इस प्रकार इस प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव आये हैं वो राजस्व काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं जो आवश्यक हैं ।

18. जहॉ तक विद्वान् रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो दावा पेश किया गया था उसकी मद संख्या 10 में उनके द्वारा खसरा नम्बर 106 की रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 की 1.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 411 की रकबा 0.88 हैक्टर पर अपना कब्जा बताया है और इसको प्रतिवादी ने अस्वीकार नहीं किया है । ऐसी स्थिति में इसको एडमिटेड माना जावेगा और इसी अनुसार वादी आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है । इस कम में हमारा विनम्र मत है कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.06.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आनुपातिक हिस्से के अनुसार पारित की है उसमें प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा दावे की मद संख्या 10 के अनुसार अंकित नहीं किया गया है और जब प्रारम्भिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आनुपातिक हिस्से के अनुसार पारित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर उसके अनुसार अंतिम डिक्री पारित किया जाना अनिवार्य है जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट दोनों अपील अपील संख्या 2021/00027 एवं अपील संख्या 2021/00053 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 व संशोधित डिक्री दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायायल को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेमराज बनाम जमना लाल

अपील संख्या : 2021/00027

10.02.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में खातेदार लटूर पुत्र घांसी, नन्दू पुत्र घांसी हिस्सा 1/3, जमनालाल पुत्र किशना हिस्सा 1/3, दुर्गालाल, हेमराज, बृजमोहन पिसरान कान्हा व अन्य हिस्सा 1/3 दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया था जिसके विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 को पारित की गई थी । प्रारम्भिक डिक्री से अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व बंटवारा प्रस्ताव तहसील से प्राप्त किये गये । सर्वप्रथम बंटवारा की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2018 थी । दिनांक 08.08.2018 के बंटवारा प्रस्ताव में जमना लाल रेस्पोडेन्ट को आराजी खसरा नम्बर 120 की 1.13 हैक्टर आराजी दी गई थी । अपीलान्ट की आपत्ति पर जो दूसरे बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14.06.2019 पेश किये गये उसमें रेस्पोडेन्ट जमना लाल को खसरा नम्बर 120 की 0.38 हैक्टर आराजी प्रस्तावित की गई । जो पुनः बंटवारा प्रस्ताव परीक्षण न्यायालय में पेश हुए उस पर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.08.2019 के अनुसार रेस्पोडेन्ट के द्वारा आपत्ति पेश की गई इसके उपरान्त पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये । यह बंटवारा प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.01.2021 को मौके पर पहुंच कर बनाये गये जिसमें किसी भी पक्षकार के द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई और जमना लाल रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गये । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए परीक्षण न्यायालय ने इस बंटवारा प्रस्ताव के विपरीत अंतिम डिक्री जारी की है । जिस प्रस्ताव को आधार माना है उस पर अपीलान्ट ने आपत्ति की थी । नियम 20 का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया है और खसरा नम्बर 120 की आराजी का विभाजन नहीं करने का कथन किया है और वहीं खसरा नम्बर 448 का विभाजन कर दिया है । खसरा नम्बर 120 हाईवे के लिए अवाप्त किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः परीक्षण न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति स्थगित रखी जावे व वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया

कि 14 वर्ष बाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । वादी के द्वारा दावे की मद संख्या 10 में यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 120 रकबा 1.42 हैक्टर व कुछ अन्य आराजियॉ उनके कब्जे में है । इसका जवाब अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा दिया गया है उसमें यह कथन किया है कि इसको प्रमाणित करने का जिम्मा वादी पर है परन्तु इसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इसको प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना माना जावेगा । जब खसरा नम्बर 120 की सम्पूर्ण आराजी पर वादी का कब्जा है तो अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी रकने में कोई त्रुटि नहीं की है । परीक्षण न्यायालय मौका रिपोर्ट से बाध्य नहीं है । मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपने विवेक से निर्णय पारित करना होता है । अपीलान्ट अपनी आराजियात का बेचान कर चुके हैं जिस आराजी का बेचान हुआ है उसको अंतिम डिक्री में केतागण के खाते में दर्ज किया जाने का निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया जाकर अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2009 (एससी) पेज 1069, डीएनजे 2010 (1) (राज0) पेज 263 उद्वरत की ।

हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण कानूनी सारभूत बिन्दु निहित है । अतः आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.03.2021 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2021 की कियान्विति स्थगित रखी जावे एवं वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे । अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब हो । पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.03. 2021 को पेश हो ।

16/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दस्ती [illegible] जारी 11-2-21

5/3/2021 वकील उभयपक्ष उप0 समस्त [illegible] दिनांक 4/3/2021 को जारी [illegible] 16/3/2021 को पेश

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16/3/21 वकील उभयपक्ष उपस्थित श्री बी.डी. प्रजापत/शर्मा AP द्वारा वकालतनामा रेस्पो० 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, रे 4/5 (पेश किया)। श्री ... 5, 6, 7, 12 की ओर से वकालतनामा पेश किया। आपत्ति ... वकील रेस्पो। द्वारा बहस नहीं करने पर ... वकील अपीलार्थी आगामी पेशी में आवश्यक रूप से बहस करें अन्यथा स्थगन नहीं बढ़ाया जावेगा। स्टे पेशी तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/3/2021 को पेश हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

23/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्यस्थगन (स्टे पेशी तक बढ़ाया जाता है।)
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/3/21 को पेश हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

31/3/21 वकील उभयपक्ष उपस्थित। स्टे पेशी तक बढ़ाया जाता है। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र O 41 R 27 पेश किया जिसकी प्रति वकील रेस्पो. को दी गई। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र O 41 R 27 एवं मूल अपील पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते सुनाने निर्णय दिनांक 9/4/21 को पेश हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9/4/21 पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश पेश हुई। अपील अपीलांट की ... अस्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकार दिनांक 13/5/21 को अधी. न्यायालय में पेश हों। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर ... किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा